



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- उदयपुर में दलाल (प्राइवेट व्यक्ति) को पुलिस अधिकारी के नाम पर 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 23 मार्च। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा आज मंगलवार को कार्यवाही करते हुये एक दलाल (प्राइवेट व्यक्ति) पुरुषोत्तम जोशी को पुलिस थाना सलूमबर के अधिकारी के नाम पर 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को परिवादिया द्वारा शिकायत दी गई कि उसके पुत्र के विरुद्ध पुलिस थाना सलूमबर, उदयपुर में दर्ज प्रकरण में बरामदगी नहीं बताने तथा मारपीट नहीं करने के नाम पर डराकर पुरुषोत्तम जोशी द्वारा पुलिस अधिकारी के नाम पर 10 हजार रुपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की उदयपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री हरीशचन्द्र सिंह एवं उनकी टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये एक दलाल (प्राइवेट व्यक्ति) पुरुषोत्तम जोशी पुत्र श्री ओंकार लाल जोशी निवासी खोडाव, तहसील सलूमबर जिला उदयपुर को परिवादिया से 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।